

[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 4 अगस्त, 2017

सं. 76/2017 - सीमाशुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. \_\_\_\_\_ (अ)- सीमाशुल्क टैरिफ (अभिज्ञान एवं रक्षाशुल्क का आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 3 के उपनियम (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 91/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.) दिनांक 7 सितंबर, 2015 जिसे दिनांक 7 सितंबर, 2015 की सा.का.नि. सं. 681(अ) के द्वारा जारी किया गया था, का अधिक्रमण करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा श्री संदीप मोहन भटनागर को उक्त नियमावली के प्रयोजनार्थ महानिदेशक (रक्षोपाय) नियुक्त करती है।

[फा.सं. 21000/26/2015 - ओएसडी (आईसीडी)]

(सत्यजीत मोहन्ती)

निदेशक